राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdadmn.cce@gmail.com Ph. NO. 0141-2702247 (O)

क्रमांक एफ1(05)पीएस/निकाशि/19/740 दिनांक : 05-07-2021

विज्ञप्ति

इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक एफ1(05)पीएस/निकाशि/19/622 दिनांक 22–01–2021 द्वारा दिनांक 01.04.2020 को कार्यरत चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कर्मचारियों, जो सीनियर सैकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा एवं निर्धारित कम्प्यूटर पाठ्क्रम उत्तीर्ण है, की अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की गयी थी। दिनांक 01.04.2021 को कार्यरत कनिष्ठ सहायक पर पदोन्नति की उक्त पात्रता रखने वाले चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कर्मचारियो की अन्तरिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन संलग्न परिशिष्ठानुसार किया जा रहा है।

दी राजस्थान सबोर्डिनेट ऑफिसेज मिनिस्ट्रियल स्टाफ रूल्स, 1999 के नियम 6 एवं शिडयूल प्रथम की बिन्दु संख्या 10 में कार्मिक (क–ग्रुप–II) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ7(2)डीओपी/एII/2006 दिनांक 05.12.12 द्वारा संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि कनिष्ठ सहायकों के 85 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा तथा 15 प्रतिशत पद ऐसे चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जावें जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनीयर सेकेण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा और इलेक्ट्रोनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डीओईएसीसी द्वारा संचालित "ओ" या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क0ऑ0प्रो0स0)/डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सोफ्टवेअर (डा0प्रे0क0सो0) प्रमाणपत्र या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी पॉलीटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा संचालित, राजस्थान नॉलेज कापोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (रा0रा0सू0प्रौ0प्र0पा0) तथा चतुर्थ श्रेणी वर्ग के पद का 5 वर्ष अनुभव रखते हो। चतुर्थ श्रेणी वर्ग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, दफ्तरी, जमादार, बुकलिफ्टर, फर्राश, गार्डनर, एनिमल केचर और प्रयोगशाला वाहक आते है।

वरिष्ठता निर्धारण हेतु संबंधित व्यक्तियों की प्रथम नियुक्ति तिथि को आधार मानकर वरिष्ठता निर्धारित की गयी है। जहाँ दो या अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति तिथि एक ही है, वहॉ उनकी जन्मतिथि को आधार मानकर ऐसे व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है।

जो व्यक्ति वरिष्ठता निर्धारण से पीडित हो वे अपना अभ्यावेदन प्राचार्य के माध्यम से पुष्ट प्रमाणों सहित इस विज्ञप्ति के जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अवश्य भिजवा देवें अन्यथा उक्त अवधि उपरान्त उनकी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा तथा प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार किया जाकर अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जाएगी। वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्धारित सिद्धान्तों के विरूद्ध कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

दिनांक 31.03.2021 तक यदि किसी कर्मचारी ने निर्धारित योग्यता प्राप्त कर ली हो और उसका नाम संलग्न सूची में अंकित नहीं है, वह कर्मचारी निम्नलिखित प्राफोर्मा में अपनी सूचना प्राचार्य के माध्यम से भिजवाये ताकि उनका नाम भी वरिष्ठता सूची में जोड़ लिया जायें :–

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम मय पद	जन्मतिथि	अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी./सामान्य	योग्यताएँ (शैक्षणिक एवं कम्प्यूटर संबंधी)	राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति का दिनांक एवं पद	वर्तमान पद पर नियुक्ति/पदोन्नति का दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
					4		

उक्त सूचना भिजवाने के साथ ही प्रथम नियुक्ति आदेश, जाति प्रमाण–पत्र, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकतालिका एवं कम्प्यूटर योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति सहित 15 दिवस के भीतर आयुक्तालय को आवश्यक रूप से भिजवाये।

2.7.2021
(डॉ0 के0 एल0 सिरांधना)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन),

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.), कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
2. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान/सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को प्रेषित करते हुए लेख है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि दिनांक 01.04.2021 को कार्यरत जिन पद धारकों की वरिष्ठता सूची जारी की जा रही है उसमें उनके महाविद्यालय में कार्यरत किसी ऐसे कर्मचारी का नाम तो नहीं रह गया है जिसने दिनांक 31.03.2021 तक निर्धारित योग्यता प्राप्त कर ली हो। यदि ऐसा कोई मामला हो तो उसका नाम व पूर्ण विवरण आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रतियों सहित इस कार्यालय को भिजवायें। इस सूची में अंकित आपके महाविद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कर्मचारी को फोटो कॉपी करवा कर देवे तथा प्राप्ति की रसीद अपने रिकार्ड में रख लें।
3. स्थापना शाखा।
4. वेबसाईट प्रभारी– कृपया वरिष्ठता सूची को वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. रक्षित पत्रावली।

2.7.2021

(डॉ0 के0 एल0 सिराधना)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन),
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

परिशिष्ट–1

दिनांक 1–4–2021 को कार्यरत कनिष्ठ सहायक पद की पदोन्नति की योग्यता रखने वाले च0श्रे0 वर्ग के कर्मचारियों की अन्तरिम वरिष्ठता सूची

क्र. सं.	नाम कर्मचारी (वर्ग सहित)	पद	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	शैक्षणिक योग्यता	तकनीकी योग्यता	राजकीय सेवा में च0श्रे0 वर्ग के पद पर प्रथम नियुक्ति की दिनांक एवं पद का नाम
1.	श्री लक्ष्मण सिंह	च.श्रे.कर्म.	राज. विधि महा., धोलपुर	10.07.76	बी.ए.पी.,16	RSCIT (15.03.17)	26.08.94 (च0श्रे0कर्म0)
2.	श्री भंवर लाल (विक0)	च.श्रे.कर्म.	राज. महा., पाली	04.01.73	बी.ए..,14	CCC,18 (09.07.18)	30.06.95 (च0श्रे0कर्म0)
3.	श्री गणेश नारायण गुर्जर (ओ.बी.सी.)	प्र.शा. वा.	राज. महा., नीमकाथाना	02.07.72	बी.ए., 97	RSCIT (01.10.15)	15.02.96 (विभाग में स्वेच्छा से स्थानांतरण पर च.श्रे. कर्म. पद पर कार्यग्रहण)
4.	श्री शांति लाल मेघवाल (अ.जा.)	च.श्रे.कर्म.	राज. कन्या महा., चित्तौड़ढ़	08.08.71	एम.ए., 19	RSCIT (05.08.16)	11.03.96 (च0श्रे0कर्म0)
5.	श्री खुशियाल चन्द	च.श्रे.कर्म.	राज. कन्या महा., नागौर	11.10.71	सी.सै., 14	RSCIT (01.10.15)	15.01.02 (च0श्रे0कर्म0)

2.7.2021

(डॉ0 के0 एल0 सिराधना)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन),
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।